

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समर्क पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जाते हैं।
किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्ण तो पत्र व्यवहार कुलसचिव हो तो उक्त क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे लेकिन शुल्क से।



ग्राम : यूनीवरिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(जनवालय)
2442462 (विवाह)

फैक्ट्री : (0091-0751-2341768
E-mail : jureg_gwl@rediffmail.com
Website : http://www.jiwaji.edu/

दिनांक : २६-०२-१४

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2012/७३५।

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 04 जनवरी, 2014 के पद क्रमांक (02) के निर्णयानुसार **MAA SHANTI DEVI COLLEGE KUTGHAN SABALGARH (MORENA)** को सत्र 2013-14 के लिये प्रस्तावित/संचालित B.A. (F.C., Hindi, Geography, Political Sc., Economics, Sociology, History, (Comp. Sc., Home Sc.), B.COM., B.SC. (F.C., Botany, Zoology, Chemistry, Physics, Maths) (Comp. Micro.), P.G.D.C.A., B.C.A., B.B.A., B.H.S.C. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

शर्तें एवं प्रतिबंध :-

1. तीन माह के भीतर 28(17) के अन्तर्गत शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्ति करें। अन्यथा अगले सत्र की सम्बद्धता पर विचार न किया जावें।
2. 50,000/- रुपये की पुस्तकों क्रय करें।
3. एन.एस.एस. इकाई की रथापना की जावें।
4. परिनियम 27, 28 का पालन किया जावें।

आदेशानुसार

प्रति,

1. प्राचार्य, MAA SHANTI DEVI COLLEGE KUTGHAN SABALGARH (MORENA).
2. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. शेसीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
4. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यगाही हेतु।